रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766] नई दिल्ली बुधवार, नवम्बर 2, 2016/ कार्तिक 11, 1938
No. 766] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2 , 2016/KARTIKA 11, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1032(अ).—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उप धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:- (1) इन नियमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27)।

(ख) 'अध्यक्ष' का अर्थ है, निधि का शासी परिषद् का अध्यक्ष जैसा कि नियम 6 में दिया गया है।

(ग) 'शासी परिषद' का अर्थ है, निधि का शासी परिषद्, जैसा कि नियम 5 के उप नियम (1) में दिया गया है।

(घ) 'निधि' का अर्थ है, अधिनियम की धारा 12 के अनुसरण में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निधि।

(ङ) 'सदस्य सचिव' का अर्थ है, शासी परिषद् का सदस्य सचिव ।

3. **निधि का उद्देश्य:-** निधि का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है ।

4. निधि का प्रशासन – (1) निधि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा ।

(2) निधि के रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन शासी परिषद् द्वारा किया जाएगा ।

(3) निधि से कोई भी राशि केवल शासी परिषद् के अनुमोदन से ही व्यय की जाएगी।

(4) निधि में जमा कोई राशि, जिसका तत्काल उपयोग नहीं किया जाना है, उसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा ।

5. **शासी परिषद की संरचना –** (1) शासी परिषद में निम्नोक्त शामिल होंगे:-

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय के प्रभारी मंत्री – अध्यक्ष पदेन

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव –सदस्य पदेन;

(ग) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) –सदस्य पदेन;

(घ) वित्तीय सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय –सदस्य पदेन;

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए उत्तरदायी भारत सरकार के संयुक्त सचिव - सदस्य पदेन;

(च) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के लिए उत्तरदायी भारत सरकार के संयुक्त सचिव - सदस्य पदेन;

(छ) बोर्ड (राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के अध्यक्ष द्वारा नामित दो सदस्य – सदस्य

(ज) अपर विकास आयुक्त – सदस्य सचिव

IndiaCode

(2) शासी परिषद की बैठक में कोरम 5 सदस्यों का होगा ।

(3) शासी परिषद् का निर्णय बैठक में मौजूद सदस्यों के बहुमत से होगा ।

6. **निधि से राशि का अनुमोदन और जारी किया जाना-** (1) योजना अथवा परियोजना अथवा कार्यकलाप को वित्तपोषित करने के संभावना का मूल्यांकन करने के लिए शासी परिषद् की कम से कम छह महीनों में 1 बैठक होगी ।

(2) शासी परिषद् अपने द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के आधार पर परियोजनाओं अथवा योजनाओं अथवा कार्यकलापों को प्राथमिकता देगी और अनुमोदित करेगी ।

(3) किसी विशिष्ट परियोजना, योजना अथवा कार्यकलाप के लिए शासी परिषद् द्वारा निधि अनुमोदित की जाएगी और जारी की जाएगी ।

(4) एजेंसी, जिसे निधि से राशि जारी की जाएगी, सदस्य सचिव को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी ।

7. **प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा: (1)** सभी परियोजना, योजनाओं अथवा कार्यकलापों जिसके लिए निधि में से राशि जारी की जाती है, की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के तीस दिनों के भीतर सदस्य सचिव को मिल जानी चाहिए ।

(2) तिमाही प्रगति रिपोर्ट शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिससे वे निधि के तहत वित्तपोषण के लिए अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं अथवा कार्यकलापों में हुई प्रगति से अवगत हो सकेंगे ।

8. **सचिवालय सहयोग -** विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) में निदेशक की अध्यक्षता वाला एक अनुभाग शासी परिषद् को निधि के कार्यों के प्रबंधन में आवश्यक सचिवालय सहायता प्रदान करेगा ।

9. **वेब पोर्टल पर सूचना -** निधि के सभी कार्यकलापों से संबंधित सूचना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी ।

10. **लेखा एवं लेखा परीक्षा-** (1) शासी परिषद् उपयुक्त लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखेगी और केंद्र सरकार तथा भारत के नियंत्रणक एवं महा-लेखापरीक्षक के परामर्श से यथानिर्धारित लाभ एवं हानि लेखे तथा बैलेंस शीट सहित लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगी ।

(2) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाएगी तथा इस प्रकार की लेखा परीक्षा में उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें निधि से की जाएगी ।

(3) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक और उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को वही अधिकारी और विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो इस प्रकार की लेखा परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक को सरकारी लेखों की लेखा परीक्षा के संबंध प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से उन्हें बहियों, खातों, संबद्ध वाउचरों, दस्तावेज और कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने और निधि के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

IndiaCode

(4) भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक अथवा उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित निधि के लेखाओं को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को अग्रेषित करने होंगे और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

[फा.सं. 2/3(1)/2016-एमएसएमई नीति]

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2016

G. S. R. 1032(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Micro, Small and Medium Enterprises Fund Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Governing Council of the Fund as referred to in rule 6;

(c) "Governing Council" means the Governing Council of the Fund referred to in sub-rule (1) of rule 5;

(d) "Fund" means the Micro, Small and Medium Enterprises Fund constituted in accordance with section 12 of the Act;

(e) "Member-Secretary" means the Member Secretary of the Governing Council;

indiacode

3. **Objective of Fund**.- The objective of the Fund shall be promotion, development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises, particularly of the micro and small enterprises.

4. **Administration of Fund.-**(1)The Fund shall be under administrative control of the Central Government in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

(2) The day to day affairs of the Fund shall be managed by the Governing Council.

(3) Any money out of the Fund shall be spent only with the approval of the Governing Council.

(4) All moneys standing at the credit of the Fund which cannot be applied immediately shall, with the approval of the Central Government, be deposited in a nationalized Bank.

5. **Composition of Governing Council.-**(1) The Governing Council shall consist of the following, namely:-

(a)	Minister in charge of the Ministry of the Micro, Small and Medium Enterprises	-Chairperson ex officio;
(b)	Secretary to the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	-Member ex officio;
(c)	Additional Secretary and Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)	-Member ex officio;
(d)	Financial Adviser, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	- Member ex officio;
(e)	Joint Secretary to the Government of India responsible for Micro, Small and Medium Enterprises in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	-Member ex officio;
(f)	Joint Secretary to the Government of India responsible for Agro and Rural Industry in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	- Member ex officio;

(g) two members to be nominated by the Chairperson of the Board (of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises) -Members;

(h) Additional Development Commissioner -Member Secretary.

(2) The quorum of the Governing Council shall be Five members.

(3) The decision of the Governing Council shall be by majority of members present in a meeting.

6. **Approval and release of money from Fund.**- (1) The Governing Council shall meet at least once in six months to assess the feasibility of funding the scheme or project or activity.

(2) The Governing Council shall prioritise and approve the projects or schemes or activities on the basis of criteria laid down by it,

(3) The Fund for specific project, scheme or activity shall be approved and released by the Governing Council.

(4) The agency to which the moneys from the Fund has been released shall submit the utilisation certificate to the Member Secretary.

7. **Progress reports and review.**- (1) A quarterly progress report of all projects, schemes or activities for which money out of the Fund has been released shall reach the Member- Secretary within thirty days of the quarter ending June, September, December and March every year.

(2) The quarterly progress report shall be placed before the Governing Council to apprise them of the progress of various projects, schemes or activities approved for financing under the Fund.

8. **Secretarial support.-** A Section headed by the Director in the office of the Development Commissioner (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) shall, provide such secretarial assistance to the Governing Council as may be considered necessary in managing the affairs of the Fund.

9. **Information on Web portal.-** Information relating to all activities of the Fund shall be uploaded on the website of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

10. **Accounts and audit**.- (1) The Governing Council shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the profit and loss account and the balance sheet in such form as may be determined by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Fund shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be reimbursed to him by the Fund.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Fund shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of Government accounts and, in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, documents and papers and inspect any of the offices of the Fund.

(4) The accounts of the Fund as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

(F. No. 2/3(1)/2016-MSME Policy)

SURENDRA NATH TRIPATHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.04 09:38:07 +05'30'